**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 1819**

**शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**चेन्नै-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा**

**1819. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कृष्णापटनम पत्तन से होकर गुज़रने वाले चेन्नै-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के लिए 90 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भावी योजना और एसवीपी भी तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है और कब तक कार्य आदेश जारी किए जाएंगे तथा परियोजना के पूरे होने की संभावित तारीख क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग):** चेन्नई बैंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर (सीबीआईसी) में तीन राज्य नामतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। समग्र कॉरीडोर के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पूरी कर ली गई है और विकास के लिए कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक) और पोन्‍नेरी (तमिलनाडु) तीन नोड्स की पहचान की गई है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्‍य सरकार ने चरण-1 के विकास के लिए आवश्यक 90 प्रतिशत से अधिक भूमि अपने अधिकार क्षेत्र में होने की पुष्टि की है। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने पोन्‍नेरी नोड के विकास के लिए 1366.11 एकड़ क्षेत्र को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।

कृष्णापटनम और तुमकुरु नोड्स के चरण-I के लिए मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) शामिल कर लिए गए हैं। पोन्नेरी नोड के लिए, राष्‍ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्‍वयन न्‍यास (एनआईसीडीआईटी) ने एसपीवी के गठन के लिए शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्टेड एग्रीमेंट (एसएसए) के निष्पादन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

आर्थिक मामला संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा कृष्णापट्टनम और तुमकुरु नोड्स का मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। चूंकि वर्तमान में परियोजना विकास के चरण में है, इसलिए कार्य आदेशों और इस परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है।

\*\*\*\*\*